न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री सी0आर0मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2022/361 जिला–नागौर

1. बगताराम पुत्र श्री गोरधनराम
2. शिवदानराम पुत्र श्री अनाराम
3. जेठाराम पुत्र श्री बींजाराम
   जातियान जाट निवासीगण पीपलिया तहसील खींवसर जिला नागौर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

1. मालाराम पुत्र श्री सादूलाराम
2. तिलाराम पुत्र श्री चोखाराम
3. भेराराम पुत्र श्री गेनाराम
4. देवाराम पुत्र श्री गेनाराम
5. उम्मेदाराम पुत्र श्री गेनाराम
6. अणदाराम पुत्र श्री गेनाराम
7. भीखी पत्नी श्री गेनाराम
8. दुर्गाराम पुत्र श्री बींजाराम
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम पीपलिया तहसील खींवसर जिला नागौर।
9. खेताराम पुत्र उगमाराम, सत्यवीर सिंह पुत्र धुडाराम, अण्दाराम पुत्र रेवतराम, कानाराम पुत्र हेमाराम, गोमती पत्नी धन्नाराम, खियाराम पुत्र मूलाराम, केशाराम पुत्र धुडाराम, हीराराम पुत्र चुनाराम, रूकमा पत्नी उगाराम, पुखराज पुत्र धनाराम, रूघनाथराम पुत्र सत्यवीर सिंह समस्त जाति जाट उम्र वयस्क निवासी ग्राम पीपलिया तहसील खींवसर जिला नागौर।
10. शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे बैंक शाखा बिरलोका तहसील खींवसर जिला नागौर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खींवसर जिला नागौर।
12. पटवारी हल्का पीपलिया तहसील खींवसर जिला नागौर।

–––––प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनिम 1956
विरूद्ध आदेश 27–1–2017 उपखण्ड अधिकारी खींवसर अन्तर्गत
प्रकरण संख्या प0शिविर/2017/1048

———

उपस्थित– 1. श्री गोविन्द शर्मा, अभिभाषक, अपीलार्थीगण
2. राघवेन्द्र सिंह अभिभाषक प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 9
2. आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–2

निर्णय

दिनांकः– 13–10–2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्टअनुसार ग्राम पंचायत पीपलिया में मौके पर चल रहे सार्वजनिक रास्ते जो बाहमासी है और मौसम के साथ बदलते नहीं है तथा आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध इस प्रकार इन रास्तों का राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने हेतु तहसीलदार, खींवसर की अनुशंषा के आधार पर मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के रास्तोंका अंकन राजस्व रेकार्ड में करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, खींवसर द्वारा गैर मुमकिन रास्ता/सड़क दर्ज कि जाने के आदेश दिनांक 27–1–2017 द्वारा पारित कर दिये उक्त रास्ता की भूमि संबधित खातेदार की खातेदारी/सरकारी में दर्ज की जावे बाबत आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 पर कथन किया है कि अपीलार्थीगण को उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश की जानकारी नहीं थी क्योंकि उक्त आदेश अपीलार्थीगण की गैर मौजूदगी में बिना कोई सूचना दिये तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। बल्कि दिनांक 8–11–2017 को कुछ ग्रामीण एकराय होकर अपीलार्थीगण के खातेदारी के खेतों पर आये और मौके पर जबरदस्ती नया रास्ता कायम करने का प्रयास किया तो अपीलार्थीगण का राजस्व रेकार्ड की तरफ ध्यान दिया तथा दिनांक 9–11–2017 को उक्त आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया तो उक्त आदेश की नकल दिनांक 10–11–2017 को प्राप्त हुई। जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद यह अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी संख्या–11 के विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अपीलार्थी संख्या 1 के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1637 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 1678 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा मोजा पीपलिया में व अपीलार्थी संख 1 व अपीलार्थी संख्या 3 व प्रत्यर्थी संख्या 1 से 9 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे का खेत खसरा नम्बर 1662 रकबा 15 बीघा व अपीलार्थी संख्या 2 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त के खेताय खसरा नम्बर 1579 रकबा 31 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 1813 रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 1892 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा मौजा पीपलिया में स्थित है। उक्त खेताय में से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खींवसर ने पंचायत शिविर के दौरान रास्ता घोषित कर राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। उक्त खातेदारी की भूमि में से भूमि कम करके रेकार्डेड खातेदारों को बिना सूचना दिये एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 1 से 9 विवादित भूमि के रेकार्डेड खातेदार एवं काबिज काश्तकार रहते चले आये थे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये एवं बिना सूचना के अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जबकि कानूनन रेकार्डेड खातेदार के खिलाफ कोई भी आदेश पारित किया जाता है तो कानूनी रूप से उनको सुना जाना व सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर दिया जाना आवश्यक होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया है जबकि तहसीलदार एवं पटवारी कभी भी मौके पर नहीं आये एव ंना ही किसी तरह की मौका रिपोर्ट ही तैयार की गई। विवादित भूमि के किसी भी भू–भाग से किसी

भी प्रकार का मौके पर कभी भी रास्ता नहीं था और न ही वर्तमान में है लेकिन मौका रिपोर्ट में बिल्कुल झूठा रास्ता बताकर मिथ्या रिपोर्ट तैयार की गई है। मौका रिपोर्ट में जो रास्ता बताया गया है वह बिल्कुल गलत है जो मात्र प्रत्यर्थी संख्या 11 व 12 ने अपने चेहते व्यक्तियों को नाजायज फायदा पहुंचाने व अपीलार्थीगण के खातेदारी हक से वंचित करने के उद्देश्य से मौके पर कोई रास्ता मौजूद नहीं होते हुए भी मिथ्या रिपोर्ट तैयार करके अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई जो अपीलार्थीगण की गैर मौजूदगी में तैयार की गई है। मौके पर रास्ते के संबंध में कोई जांच नहीं की एवं न ही मौके पर आकर कोई रिपोर्ट तैयार की गई है।

उनका यह भी तर्क है कि खसरा नम्बर 1678 मे से पहले से ही 1 बिस्वा भूमि खातेदार द्वारा राजस्थान सरकार के पक्ष में हक कर रखी थी अब उसी भूमि को शामिल करते हुए दुबारा रास्ता बताकर खसरा नम्बर 1678 में से 2 बिस्वा भूमि और कम कर दी गई जो विधिसम्मत नहीं है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–1–2017 को निरस्त कर इस निर्देश के साथ रीमाण्ड किया जावे कि पक्षकारान को विधिवत रूप से सम्पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाकर नये सिरे से आदेश पारित करे।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस का समर्थन करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 से 9 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण की निजी खातेदारी की आराजियात में से रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया है जबकि तहसीलदार व पटवारी हल्का कभी भी मौके पर नहीं आये और न ही कोई मौका रिपोर्ट तैयार की है उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर खातेदारी आराजियात में से गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खींवसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–1–2017 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 9 के विद्वान अधिवक्ता की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या–11 तहसीलदार खींवसर के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–1–2017 चालू रास्तों का राजस्व अभिलेख व नक्शे ट्रेस में अंकन हेतु आदेश भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजियात में से जनहित व लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए रस्ता दर्ज किये जाने एवं रास्ते के नजरी नक्शे अनुसार तरमीम कर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर द्वारा न्यायहित में चालू सार्वजनिक रास्ते जो बारहमासी है और मौसम के साथ बदलते नहीं है और आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध है को दृष्टिगत रखते हुए राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में चालू रास्ते का अंकन करने का

आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार, खींवसर द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के आधार पर पंचायत शिविर ग्राम पंचायत पीपलिया में चालू रास्ते का रेकार्ड में अंकन हेतु राजस्व रेकार्ड एवं राजस्व नक्शे में मौका पर्चा अनुसार नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जबकि तहसीलदार खींवसर को विवादित आराजियात जो कि निजी खातेदारी की आराजियात है, से संबंधित खातेदारों की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी, खींवसर को भिजवाई जानी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रनुमा कॉलम अंकित करते हुए ग्राम का नाम व खसरा नम्बर, रकबा भूमि की किस्म आदि अंकित कर आदेश पारित किया है जो नोनस्पीकिंग आदेश की परिभाषा में आता है जो विधिक नहीं है।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 1637 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 1678 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा मोजा पीपलिया में व अपीलार्थी संख 1 व अपीलार्थी संख्या 3 व प्रत्यर्थी संख्या 1 से 9 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे का खेत खसरा नम्बर 1662 रकबा 15 बीघा व अपीलार्थी संख्या 2 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त के खेताय खसरा नम्बर 1579 रकबा 31 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 1813 रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 1892 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा मौजा पीपलिया में स्थित है। अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 से 9 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात है जिस पर अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 9 को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण की खातेदारी की भूमि में से नजरी नक्शेनुसार रास्ता दर्ज करने का एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जबकि निजी खातेदारी की आराजियात में से गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने से पूर्व मौके की स्थिति की जानकारी एवं पड़ौसी खातेदारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण की निजी स्वामित्व की खातदारी की आराजियात में से रास्ता दिये जाने का उल्लेख किया है जिसकी मोके की जांच किया जाना आवश्यक है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 6–1–2017 में न तो किसी खातेदार के हस्ताक्षर है एवं ना ही अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण के हस्ताक्षर कराये है और न ही विवादित आराजियात से संबंधित भूमि के खातेदारान की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। इससे स्पष्ट है कि खातेदारान की सहमति नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खींवसर ने केवल तहसीलदार खींवसर की एकपक्षीय रिपोर्ट के आधार पर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया है। विवादित भूमि के किसी भी भू–भाग से

किसी भी प्रकार का मौके पर कभी भी रास्ता था ऐसा साक्ष्य रेकार्ड पर नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण द्वारा विवादित आराजियात में से रास्ता दर्ज करने बाबत कोई सहमति/रजामंदी भी नहीं दी गई थी केवल तहसीलदार खींवसर की अनुशंषा के आधार पर ही अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण की निजी खातेदारी की आराजियात में से राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश पारित कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर द्वारा पारित आदेश क्रमांक 1048 दिनांक 27–01–2017 त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–01–2017 अन्तर्गत राजस्व प्रकरण संख्या प0शिविर/2017/1048 त्रूटिपूर्ण होने से खारिज किया जाता है और प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, खींवसर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजियात की तहसीलदार, खींवसर से ग्रामवासियों एवं अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 9 की उपस्थिति में तैयार की गई मौका रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 13–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी0आर0मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर